अभिनव कार्यक्रमों

(डिप्लोमा/ पी.जी.डिप्लोमा/प्रमाणपत्रीय-पाठ्यक्रम)

के लिए नियमावली

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,

जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित

पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन

- **अर्हता:-**

1. त्रैमासिक अथवा षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड से न्यूनतम मेट्रिक अथवा तत्समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. स्नातकस्तरीय (UG) डिप्लोमा हेतु अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय/विश्वविद्यालय/ बोर्ड से न्यूनतम 12वीं अथवा तत्समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
3. स्नातकोत्तर (PG) डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी शास्त्री / B.A. डिग्री पाठ्यक्रम या समकक्ष के रूप में किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण हो।

- **अध्ययन की अवधि एवं रूपरेखा:-**

1. पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया है (1) पारम्परिक पाठ्यक्रम (2) व्यावसायिक पाठ्यक्रम
2. प्रत्येक पाठ्यक्रम दो प्रविधि में विभाजित किया गया है (1) प्रयोग प्रधान (2) सिद्धान्त प्रधान
3. प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमों की न्यूनतम अवधि छह माह तथा अधिकतम एक वर्ष की होगी।
4. स्नातकस्तरीय (UG) डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तरस्तरीय (PG) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि एक वर्ष की होगी।
5. सभी पाठ्यक्रम की कक्षाओं का सञ्चालन ऑनलाइन / ऑफलाइन उभय रूप से होगा।
6. त्रैमासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम में एक सप्ताह की संपर्क कक्षा (contact classes) करना अनिवार्य होगा।
7. षाण्मासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम में कुल दो सप्ताह की संपर्क कक्षा (contact classes) (प्रथम एवं द्वतीय त्रैमासिक अवधि में अलग अलग) करना अनिवार्य होगा।
8. एकवर्षीय पाठ्यक्रम में कुल चार सप्ताह की संपर्क कक्षा (contact classes) (प्रत्येक त्रैमासिक अवधि में अलग अलग एक एक सप्ताह का) करना अनिवार्य होगा।
9. अध्यापन की पद्धति में व्याख्यान और प्रदर्शन (प्रायोगिक) शामिल होंगे।
10. प्रायोगिक / सम्पर्क कक्षा के लिए पाठ्यक्रम में प्रविष्ट अभ्यर्थी सम्बद्ध परिसर में भाग लेंगे।
11. अभ्यर्थी इन पाठ्यक्रमों के लिए किसी भी परिसर में शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकते हैं।
12. पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन कक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर (मुख्यालय अथवा किसी भी निर्धारित परिसर द्वारा) चलाई जाएगी।
13. उपरोक्त पाठ्यक्रमों का सञ्चालन तभी किया जा सकता है जब सम्बद्ध पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर न्यूनतम 25 छात्रों का पञ्जीकरण हुआ हो। विभिन्नपरिसरों में पञ्जीकरण की न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं रहेगी।
14. किसी एक परिसर में पञ्जीकृत छात्र अपनी सुविधानुसार सम्पर्क कक्षा, परीक्षा आदि के लिए पूर्वानुमति से अन्य परिसर में सामिल हो सकते हैं।

शुल्क संरचना (Fees Structure) :-

पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छात्रों को पाठ्यक्रमानुसार निम्न लिखित शुल्क जमा करने होंगे-

पारम्परिक पाठ्यक्रमों हेतु

	प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम	डिप्लोमा पाठ्यक्रम	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
प्रक्रिया शुल्क (Prospectus fee)	100	200	200
प्रवेश शुल्क (Admission fee)	300	300	300
शिक्षण शुल्क (Tuition fee)	1200	1700	3300
परिचय पत्र शुल्क (ID Card fee)	100	100	100
परीक्षा शुल्क (Exam fee)	1000	1000	1100
कुल शुल्क (Total Amount)	2700/-	3300/-	5000/-

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु

	प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम	डिप्लोमा पाठ्यक्रम	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
प्रक्रिया शुल्क (Prospectus fee)	100	200	200
प्रवेश शुल्क (Admission fee)	500	500	500
शिक्षण शुल्क (Tuition fee)	2300	3200	5100
परिचय पत्र शुल्क (ID Card fee)	100	100	100
परीक्षा शुल्क (Exam fee)	1000	1000	1100
कुल शुल्क (Total Amount)	4,000	5,000	7,000

- SC/ST/OBC/EWS/PWD एवं परिसर व सम्बद्ध महाविद्यालय में अध्ययनरत्त छात्र/सेवारत्त कर्मचारियों को प्रवेश लेने पर शिक्षण शुल्क में 50% छूट प्रदान की जाएगी।
- पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन सामग्री निर्मित होने के उपरान्त ही अध्ययन सामग्री का शुल्क निर्धारित किया जाएगा।

- **कक्षा संचालन-**

1. कक्षाएं शाम 05:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक दो घंटे आयोजित होंगी।
2. पाठ्यक्रम की कक्षाए सप्ताह में न्यूनतम दो दिन अनिवार्य रूप से परिसरीय परिस्थिति के अनुसार आयोजित की जाएंगी। एवम् ऑनलाईन अध्येता हेतु प्रायोजक परिसर स्वयं समय व दिन निर्धारित करेगा।
3. पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए पाठ्यक्रम के चयन के अनुसार ततसम्बद्ध परिसर का चयन किया जाएगा। पाठ्यक्रम संचालन करने हेतु प्रशासनिक एवं शैक्षणिक दायित्व परिसर का होगा।

- **अध्यापन/निर्देशन का माध्यम-**

1. सभी कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत होगा।

- **उपस्थिति:-**

1. किसी छात्र को विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वह विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार निर्धारित उपस्थिति दर्ज करता/करती है। हालांकि, पाठ्यक्रम की विशेष प्रकृति को देखते हुए यह वांछनीय है कि छात्र पाठ्यक्रम के लाभों को प्राप्त करने के लिए कम से कम 75% उपस्थिति बनाए रखें।
2. परीक्षा लिखने के लिए पाठ्यक्रम समन्वयक की देखरेख में, ऑनलाइन छात्रों के लिए विश्वविद्यालय परिसर से संपर्क कक्षाओं में शारीरिक रूप से भाग लेना अनिवार्य है। इसमें 90 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य होगी।

- **परीक्षा:-**

1. स्नातकोत्तर डिप्लोमा/प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम हेतु परीक्षा निर्धारित समयावधि में ही संचालित होगी।
2. ऑफलाइन परीक्षा अध्येता द्वारा पञ्जीकृत परिसर में आयोजित की जायेगी। पूर्वानुमति से अन्य परिसर में भी शामिल हो सकते हैं।

- परीक्षा के लिए कुल 100 अंक निर्धारित किए गये हैं, जिनमें सिद्धान्त प्रधान पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 40% प्रायोगिक/सतत मूल्यांकन तथा 60% लिखित परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, इसके अतिरिक्त प्रयोग प्रधान पाठ्यक्रम में 60% प्रायोगिक सतत मूल्यांकन तथा 40% लिखित परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा,

- प्रायोगिक पाठ्यक्रम के मूल्यांकन हेतु 100 अंक निम्नानुसार वितरित किए जाएंगे जिसमें-

  40 अंक लिखित परीक्षा,

  20 अंक प्रदत्त कार्य,

  20 मौखिक परीक्षा

  20 अंको का NEP के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन होगा।

- सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के मूल्यांकन हेतु 100 अंक निम्नानुसार वितरित किए जाएंगे जिसमें-

  60 अंक लिखित परीक्षा,

  10 अंक प्रदत्त कार्य,

  10 मौखिक परीक्षा

  20 अंको का NEP के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन होगा।

- **उत्तीर्णाङ्क और स्तर का प्रतिशत:-**

1. निम्नलिखित पैमाने के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर स्तर निर्धारण किया जाएगा।
2. लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम संबद्ध परिसर में ही आयोजित की जाएगी जिसमें छात्र अपने अनुकूल किसी भी परिसर में पूर्वानुमति जा कर लिखित परीक्षा दे सकते हैं।
3. मूल्यांकन ग्रेड के रूप में किया जायेगा। जिसमें-

80% या अधिक प्राप्तांक वालों को	**'A+' ग्रेड**
70% - 79%	'A' **ग्रेड**
60% - 69%	'B+' **ग्रेड**
50% - 59%	'B' **ग्रेड**
50% से न्यून	'C' **ग्रेड दिया जाएगा।**

- **पूरक परीक्षा के लिए पात्रता:-**

1. पाठ्यक्रमों के सभी पत्रों का औसत योगांक 40% होने पर अभ्यर्थी उत्तीर्ण माना जाएगा किन्तु 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को पूरक परीक्षा देय होगी।
2. अभ्यर्थी की पूरक परीक्षा हेतु पृथक रूप से आयोजन नहीं किया जाएगा, अग्रिम सत्र की परीक्षा के अंतर्गत ही वह परीक्षा लिख पाने में समर्थ हो सकेगा।
3. पूरक परीक्षा के लिए घोषित अभ्यर्थी को बाद के सतत दो प्रयासों में ही पूर्ण करना होगा। अनुपस्थित कोई भी प्रयास स्वतः समाप्त हो जाएगा और इस अवधि (अग्रिम दो सतत प्रयास) की समाप्ति के बाद उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।
4. असफल अभ्यर्थी वाद की परीक्षा में पुनः प्रवेश के लिए भूतपूर्व छात्र के रूप में अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में संबंधित समन्वयक/निदेशक को इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तिथि तक निर्धारित शुल्क और दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेगा। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कक्षा में उपस्थिति अनिवार्य नही होगी।